OFFICE

Secretary Lal Bahadur Shastri Paramedical Skills and Training Council

India

Letter No.: Par-Co-/Council Recognition/2024/178

Date: 02/02/2024

-: Office Memorandum: -

In connection with granting recognition to new diploma level paramedical/skill educational institutions by Lal Bahadur Shastri Paramedical Skills and Training Council for the academic session 2024-26, a meeting of the Recognition Committee was held in the Council office on 01/02/2024. In the meeting, it was decided to grant recognition to the institutions in sequence of the approval given by the Lal Bahadur Shastri Paramedical Skills and Training Council for the session 2024-26 and the decision taken by the Recognition Committee.

In continuation of the decision taken in the meeting of the Recognition Committee, the following institution is given recognition by the Lal Bahadur Shastri Paramedical Skills and Training Council for the session 2024-26 for the course and the admission capacity mentioned in it under the following conditions: -

Name and Code of Institution: - 0178 SHREESHTI PARAMEDICAL INSTITUTE ASSOCIATION **Add:** Kishorganj, Nikat Mandi Samiti Dibiyapur Road, Bidhuna Auriya Uttar Pradesh.		
Sr. No.	**Course Name**	**Admission capacity approved by the Council for the session 2024-26**
1.	Diploma in Optometry	20
2.	Diploma in Medical Lab Technology	20
3.	Diploma in Dental Hygiene	20
4.	Diploma in Nursing Assistant	20
5.	Certificate in Community Medical Service and Essential Drug	20

Conditions for recognition-

- ✓ The Institution will fully comply with all the conditions set by the Lal Bahadur Shastri Paramedical Skills and Training Council.
- ✓ The Institution will make available resources (land, building, lab equipment) etc. as per the standards of Lal Bahadur Shastri Paramedical Skills and Training Council, which can be checked by the Council at any time during the session.
- ✓ The Institution will follow the rules and examination bye-laws given by the Lal Bahadur Shastri Paramedical Skills and Training Council and the orders issued by the Council from time to time and only the fee determined by the fee determination committee will be collected from each student. Apart from the above, the orders of the Council issued from time to time regarding fees from the students will be effective, and it will be necessary to take action accordingly. If the fee for the current session is redetermined by the Fee Fixation Committee, the latest rates of fee will be applicable.
- ✓ Only students allotted by the Indian Paramedical Entrance Examination Council will be given admission in the Institution.
- ✓ The Institution will have to deposit inspection and recognition fees as per the orders of the Council issued from time to time.

- ✓ The Institute is bound to follow the laws/rules/acts/instructions issued by the Council and the rules, regulations, orders, directions made by the Director Lal Bahadur Shastri Paramedical Skills and Training Council.
- ✓ If the approval of the Institute is cancelled from the Council, then the entire responsibility in this regard will be of the Institute and the Institute itself will be legally responsible for any action.
- ✓ Compliance with the latest reservation rules issued from time to time for admission by the Government of India or the State Government will be mandatory.
- ✓ The Institution will have to provide a suitable environment for education and training and ensure all necessary arrangements to prevent ragging.
- ✓ During the surprise on-site inspection of the Institution, if the land, building, laboratory, equipment and other equipment are not found to be available in the Institution as per the standards of the Council, then the recognition of the institution will be terminated.
- ✓ The Institution will have to make available all the information about the institution on its website and council's portal, such as the historical background of the Institution, details of staff, equipment, equipment, fee to be received, hostel fee etc.
- ✓ No teacher mentioned in the list of working teachers given to the Institute Council before the commencement of the session can be removed from service during the session without the written permission of the Council.
- ✓ Along with verification of infrastructure facilities and employed teachers by the Inspection Committee, audit of the accounts of the Institute can also be done by the Council at any time.
- ✓ After the institution gets affiliation, if the information/details filled by the Institution at the time of online application, non-deposit of affiliation fee and any kind of error in the number of seats comes to the notice of the Council, then the temporary affiliation given to the institution will be cancelled. It will be automatically cancelled and the entire responsibility will be on the institute itself.
- ✓ If the post of Principal of the institution becomes vacant after the commencement of the session, then within three months from the date of vacancy, the selection process should be completed and appointment should be made to the vacant post, which must be informed to the Council.
- ✓ In case of non-compliance or violation of recognition conditions, disciplinary action will be taken as per rules.

सचिव A. Giri 05/02/24
लाल बहादुर शास्त्री
पराचिकित्सीय, कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद्
उ०प्र०, भारत
(Secretary)

Lal Bahadur Shastri Paramedical Skills and Training Council

Copy sent to the following for information and necessary action: -

1 Chairman, Lal Bahadur Shastri Paramedical Skills and Training Council.

2 Secretary, Lal Bahadur Shastri Paramedical Skills and Training Council

3 Controller of Examinations, Lal Bahadur Shastri Paramedical Skills and Training Council.

4 Director, Lal Bahadur Shastri Council for Paramedical Skills and Training.

5 Secretary/Director SHREESHTI PARAMEDICAL INSTITUTE ASSOCIATION District Auriya Uttar Pradesh Pin code: 206243

6 Guard File.

कार्यालय

सचिव लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद

भारत।

पत्रांक संख्याः पराकौप्र/परिषद मान्यता/2024/178 दिनांकः 02/02/2024

:–कार्यालय ज्ञाप–:

लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा शैक्षिक सत्र 2024–26 हेतु नवीन डिप्लोमा स्तरीय पराचिकित्सीय/कौशल शिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रदान किए जाने के संबंध में दिनांक 01/02/2024 को परिषद कार्यालय में मान्यता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2024–26 हेतु लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा संस्थाओं को प्रदत्त अनुमोदन एवं मान्यता समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में मान्यता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

मान्यता समिति की बैठक में लिये गए निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा सत्र 2024–26 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु मान्यता प्रदान की जाती है:–

संस्था का नाम एवं कोडः– 0178 सृष्टि पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट एसोसिएशन **पता: किशोरगंज निकट मंडी समिति, दिबियापुर रोड बिधुना औरैया उत्तर प्रदेश**		
क्र० सं०	पाठ्यक्रम का नाम	परिषद द्वारा सत्र 2024–26 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1.	**डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री**	**20**
2.	**डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी**	**20**
3.	**डिप्लोमा इन डेंटल हाईजीन**	**20**
4.	**डिप्लोमा इन नर्सिंग असिस्टेंट**	**20**
5.	**सर्टिफिकेट इन कम्यूनिटी मेडिकल सर्विस एंड इसैन्श्यल दृग**	**20**

मान्यता हेतु शर्तें–

- संस्था लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद के मानकों के अनुरूप संसाधन (भूमी, भवन, लैब उपकरण) आदि उपलब्ध रखेगी जिसकी जांच परिषद द्वारा सत्र के दौरान किसी भी समय की जा सकेगी।
- संस्था लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रदत नियमवाली व परीक्षा–उपविधि तथा समय–समय पर निर्गत परिषद के आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के संबंध में समय–समय पर परिषद द्वारा निर्गत किए जाने वाले परिषद के आदेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। शुल्क निर्धारण समिति द्वारा यदि चालू सत्र हेतु शुल्क का पुननिर्धारण किया जाता है, तो शुल्क की नवीनतम दरें लागू होंगी।

- संस्था में भारतीय पराचिकित्सीय प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- संस्था को समय–समय पर निर्गत परिषद के आदेशों के अनुसार निरीक्षण एवं मान्यता शुल्क जमा करना होगा।
- संस्थान परिषद द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/निर्देशों एवं निदेशक लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा बनाए गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निदेशों का पालन करने के लिए बाध्यकारी है।
- यदि संस्थान का परिषद से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी।
- भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन बाध्यकारी होगा।
- संस्था को शिक्षण–प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के संबंध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- संस्था यह सुनिश्चित कर ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि–भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्बारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की मान्यता समाप्त किए जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- संस्था के औचक स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि–भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज–सज्जा परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नही पाया जाता है तो संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।
- संस्था को अपने वेबसाइट तथा परिषद के पोर्टल पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक प्रष्ठि भूमि, स्टाफ, साज–सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व संस्थान परिषद को कार्यरत शिक्षकों के संबंध में दी गई सूची में उल्लेखित किसी भी शिक्षक को सत्र के दौरान बिना परिषद की लिखित अनुमति के सेवा से निकाला नहीं जा सकेगा।
- निरीक्षण मण्डल द्वारा अवस्थापना सुविधाओं एवं सेवायोजित शिक्षकों के सत्यापन के साथ–साथ संस्थान के लेखा का ऑडिट भी परिषद द्वारा किसी भी समय किया जा सकता है।
- संस्था को संबद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा ऑनलाइन आवेदन के समय भरी गई सूचना/ विवरण, तथा संबद्धता संबंधी शुल्क न जमा करने तथा सीटों की संख्या में किसी भी प्रकार की त्रुटि परिषद के संज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदत्त अस्थायी संबद्धता स्वतः निरस्त समझी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा।
- सत्र प्रारंभ होने से होने के उपरान्त यदि संस्था के प्राचार्य का पद रिक्त होता है तो रिक्त होने की तिथि से तीन माह के अंदर रिक्त पद पर चयन की कार्रवाई पूर्ण कर नियुक्ति कर ली जाए जिसकी सूचना परिषद को अवश्य कराये।
- मान्यता शर्तों का अनुपालन न किए जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

सचिव।

(लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 अध्यक्ष, लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद।
2 सचिव, लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद
3 परिक्षा नियंत्रक, लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद।
4 निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद।
5 सचिव / निदेशक सृष्टि पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट एसोसिएशन जिला औरैया उत्तर प्रदेश पिनकोडः 206243
6 गार्ड फाइल।

पृ० सं०– पराकौप्र / परिषद मान्यता / 2024 / .178

Lal Bahadur Shastri Paramedical Skill And Training Council Since 2011 India

सचिव
लाल बहादुर शास्त्री
पराचिकित्सीय, कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद
उ०प्र०, भारत

सचिव।

(लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद)